न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी

कांतिलाल पुत्र पोकरराम जाति घांची
निवासी हनुमान चौक छावणी
शिवगंज जिला सिरोही
विद्वान अधिवक्ता
श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

बनाम

प्रतिवादीगण

1.श्री गलबाराम पुत्र नाथाजी घांची निवासी छावणी के कायम मुकाम
1/1–गणेश पुत्र गलबाजी जाति घांची निवासी शिवगंज
1/2–दीपाराम पुत्र गलबाजी जाति घांची निवासी शिवगंज
1/3–जीवीबाई पत्नी गलबाजी निवासी छावणी शिवगंज
1/4–दाखु पुत्री गलबाजी पत्नी मोहनलाल जाति घांची निवासी मैन मार्केट साण्डेराव तह0 सुमेरपुर
1/5–कनिया पुत्री गलबाजी जाति घांची पत्नी गणेशमल जाति घांची निवासी पेरवा तह0 बाली जिला पाली
1/6–लीला पुत्री गलबाराम पत्नी प्रकाश जाति घांची नि0 टीवीएस शोरूम के पीछे सुमेरपुर जिला पाली
2–चौथीबाई पत्नी मालाराम जी जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
3– किस्तुरचंद पुत्र मालाराम जी जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
4–दिनेश कुमार पुत्र मालाराम जी जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
5–सीता पुत्री मालाराम जी पत्नी नारायणलाल जाति घांची निवासी मेन बाजार, साण्डेराव जिला पाली
6–बदामी पुत्री मालाराम पत्नी भंवरलाल जाति घांची निवासी 2 नं0 स्कूल की गली उन्दरी, सुमेरपुर जिला पाली
7–रेखा पुत्री मालाराम पत्नी कांतिलाल जाति घांची नि0 जालोर चौराहा, मैणों का वास सुमेरपुर जिला पाली
8–शांतिदेवी पत्नी नारायणलाल जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
9–मुकेश कुमार पुत्र नारायणलाल जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
10–प्रवीण कुमार पुत्र नारायणलाल जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
11–चंदा पुत्री नारायणलाल जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
12–मधु पुत्री नारायणलाल जाति घांची निवासी छावणी शिवगंज
13–चुन्नीलाल पुत्र नाथाजी जाति घांची **के कायम मुकाम**
13/1–हस्तुबाई पत्नी चुन्नीलाल घांची नि0 छावणी शिवगंज
13/2–प्रभुलाल पुत्र चुन्नीलाल घांची नि0 तहसील के पीछे छावणी शिवगंज
13/3–रमेशकुमार पुत्र चुन्नीलाल घांची नि0 बडा मेणवाडा छावणी शिवगंज
13/4–हिम्मतमल पुत्र चुन्नीलाल घांची नि0 हनुमान चौक, छावणी शिवगंज
13/5–कनियादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रमेश कुमार घांची नि0 संतोषी नगर, छावणी शिवगंज
13/6–गीतादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी भंवरलाल घांची नि0 संतोषी नगर छावणी शिवगंज
14–मांगील[illegible]जाराम जी घांची नि0 अवध[illegible] सुमेरपुर पाली
15–शा[illegible]राम जी घांची नि0 बडा मेणव[illegible] छावणी शिवगंज
16–नरेश कुमार पुत्र मानाराम घांची नि0 हनुमान च[illegible] छावणी शिवगंज
17–संदीप कुमार पुत्र मानाराम घांची नि0 हनुमान चौक छावणी शिवगंज
18.तहसीलदारजी (भूमिधारी) शिवगंज, जिला सिरोही
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल
प्रतिवादी सं0–1/1, 1/3 ता 1/5, 2, 3, 4, 5,8,13/1 ता 13/6 , 16,
एक पक्षीय–1/2,1/6, 6, 7, 9 ता 12, 14, 15, 17

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:44 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12/2017

–:निर्णय:– दिनाक 27.03.2024

वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण सं0 1/2, 1/6 ,6, 7, 9 ता 12, 14, 15, 17 के विरूद्ध पूर्व में एक तरफा कार्यवाही किये जाने से व दिनांक 28.02.2024 को तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त पुनः बंटवाडा प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने व उक्त प्रकरण अवलोकन कर निर्णय/डिकी पर रखी, जिसमें वादी व उपस्थित प्रतिवादीगणों ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त आराजी **मौजा चांदाणा** पटवार हल्का केसरपुरा तह0 शिवगंज के **खसरा नम्बर 123, 124, 129/1 रकबा कमशः 2.3553, 0.6880, 4.5406 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.5839 हैक्टयर** भूमि का विभाजन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत पुनः बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वयं तथा उनके ऐजेंट, नोकर तथा परिवारजन वादी को बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार प्राप्त कब्जे काश्त में काश्त करने से नहीं रोके वादी के कब्जे में दखलअंदाजी नहीं करे एवं नहीं वादी के साथ किसी प्रकार का झगडा फसाद न करे।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित कर डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शें के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 27.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शकुंतला)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

(स्टाम्प: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान))

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 197
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 27.03.2024

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:44 IST
Reason: SelfAttested